महत्वपूर्ण

संख्या–859/81–5–2019–07/93vol.-II

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–5 लखनऊः दिनांक 08 नवम्बर, 2019

विषयः– प्रदेश में विरासत(हेरीटेज) वृक्षों के चयन/अभिलेखीकरण हेतु गाइडलाइन्स।

महोदय,

भारत में प्राचीन काल से ही वृक्षों के रोपण, संरक्षण एवं संवर्द्धन की परम्परा रही है। वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन एवं हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अभिन्न अंग है। प्रदेश में विलुप्त हो रही वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं पौराणिक/ऐतिहासिक, अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़े हुए वृक्षों को संरक्षित कर जन सामान्य में वृक्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। अतएव प्रदेश में विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण वृक्षों के चयन एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चयन/अभिलेखीकरण हेतु गाइडलाइन्स के अनुसार विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चयन/अभिलेखीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

H-GO-2018

संख्या–859(1)/81–5–2019–07/93 vol.-II, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त मण्डलीय/जोनल मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

# प्रदेश के विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चयन/अभिलेखीकरण हेतु गाईडलाइन्स

**प्रस्तावना:–** भारत में प्राचीन काल से ही वृक्षों के रोपण, संरक्षण एवं संर्वद्धन की परम्परा रही है। वृक्ष हमारे लिये महत्वपूर्ण संसाधन एवं हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक ग्रन्थों में वृक्ष के विभिन्न अंगो– जड़, तना एवं पत्तों में देवी–देवताओं का वास माना गया है:–

**मूले ब्रह्मा तने विष्णुः शाखायाम् मृहेश्वरः।**

**पत्रम् सर्व देवानाम् वृक्ष देव नमोस्तुते।।**

**अर्थात् वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु, शाखाओं में शिव एवं पत्तों में सभी देवताओं का निवास है, इसलिये वृक्षदेव को प्रणाम है।**

वृक्षों का रोपण व संरक्षण, धर्म, परम्परा व संस्कृति का अभिन्न अंग होने के कारण जनसामान्य में वृक्षों को बचाये रखने व पालन पोषण करने का संस्कार विकसित है। इसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक स्थलों, नदियों, तालाबों/वेटलैण्ड्स व मार्गो के किनारे एवं विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों के परिसरों में अत्यन्त प्राचीन वृक्ष पाये जाते हैं। इन वृक्षों में बरगद, पीपल, इमली, नीम, महुआ, पारिजात, अर्जुन, जामुन, साल सहित विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष शामिल हैं। जैवविविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही ये वृक्ष हमें अपने पुराने गौरव व पूर्वजों का बोध कराते हैं।

अतएव विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण वृक्षों के चयन एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता है।

## मार्ग निर्देश:–

### (क) गैर वन क्षेत्र (ग्रामीण व शहरी क्षेत्र):

- गैर वन क्षेत्र में विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चिन्हांकन का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–2(ज) के अनुसार स्थानीय निकाय का तात्पर्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से हैं। पंचायतों या नगर पालिकाओं के अभाव में किसी अधिनियम के अधीन गठित स्वशासित संस्थाओं से है।
- जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–41 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जैवविविधता प्रबन्ध समिति का गठन पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना संख्या–2312/33–3–17–42/2015 दिनांक 03.10.2017 द्वारा किया गया है।
- इस जैवविविधता प्रबन्ध समिति का सभापति प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत पदेन सचिव होता है। जैवविविधता प्रबन्ध समिति द्वारा विरासत वृक्षों का चयन कर पंचायत के जैवविविधता रजिस्टर में अंकित किया जाय।
- ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा यह सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये, जो जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ को भेजा जायेगा।
- शहरी क्षेत्रों में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी को विरासत वृक्ष घोषित करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध

करायी जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ को भेजा जायेगा।

- राजकीय विभागों/शिक्षण संस्थाओं आदि के परिसर एवं उनके नियंत्रणाधीन भूमि पर चयनित वृक्षों की सूचना सम्बन्धित विभागों/शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को विरासत वृक्ष घोषित करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, लखनऊ को भेजा जायेगा।
- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड इस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य जैवविविधता बोर्ड से प्राप्त कर विरासत वृक्ष घोषित करेंगे।
- विरासत वृक्षों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं सतत् पर्यावरण उपयोगी बनाये रखने के लिये **राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (NBRI)** की सहायता से अभिलेखीकरण कर सार्वजनिक उपयोग हेतु पुस्तक तैयार की जायेगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधिता बोर्ड के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा।

## चयन के मानक

- वृक्ष लगभग 4 पीढ़ी अर्थात 100 वर्ष से अधिक हो।
- वृक्ष पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़ा हो।
- वृक्ष की सदियों से पवित्र वृक्ष (sacred grove) के रूप में पूजा की जाती हो।
- वृक्ष विलुप्त हो रही प्रजाति का हो अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।

- भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान (Botanical Survey of India) के द्वारा प्रकाशित संकटाग्रस्त प्रजातियों की रिपोर्ट में दर्शायी गयी प्रजाति का वृक्ष।
- वृक्ष सामुदायिक भूमि पर अवस्थित हो तथा भूमि सम्बन्धी कोई विवाद न हो।
- ऐसा वृक्ष जिसकी विशिष्ट विशेषताएं, उस प्रजाति की सामान्य विशेषताओं से भिन्न हो।

उपरोक्त मानकों में से यदि कोई एक मानक भी पूर्ण होता है तो उस वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।

## विरासत वृक्ष के संरक्षण एवं संवर्द्धन किये जाने की प्रकिया

- सम्बन्धित जैवविविधता प्रबन्ध समिति/नगर पालिका/सम्बन्धित विभाग/शिक्षण संस्थान द्वारा विरासत वृक्ष के संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में तकनीकी मार्ग दर्शन सम्बन्धित क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- विरासत वृक्ष को काटा अथवा हटाया नहीं जायेगा, जब तक यह प्राकृतिक रूप से सूख न जाय/गिर न जाय अथवा अन्य शस्यों में संक्रमण की सम्भावना से रोग ग्रस्त हो।
- इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (NBRI), ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग एवं शोध संस्थानों की परामर्श प्राप्त की जा सकती है।

## (ख) वन क्षेत्रः

- वन क्षेत्र में विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के चिन्हांकन व घोषणा का कार्य सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा किया जायेगा।
- इन वृक्षों को प्रभाग की प्रबन्ध योजना में विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में अंकित किया जायेगा।

## चयन के मानकः

- ऐसे वृक्ष की प्रजाति जिनका व्यास कार्ययोजना में प्राविधानित आर्वतन काल (rotation/exploitable) से अधिक हो तथा न्यूनतम 100 वर्ष हो।
- स्थानिक वृक्ष (इनडेमिक प्लान्ट) हो।
- वृक्ष पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, धार्मिक परम्पराओं व मान्यताओं से जुड़ा हो।
- वृक्ष विलुप्त हो रही प्रजाति का हो अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।
- भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान (Botanical Survey of India) के द्वारा प्रकाशित संकटाग्रस्त प्रजातियों की रिपोर्ट में दर्शायी गयी प्रजाति का वृक्ष।
- ऐसे वृक्ष जिनका पुनर्जनन नहीं हो रहा है, को विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में चयनित किया जाय।
- मातृ वृक्ष (Mother Tree) का चयन विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में किया जाय।

- ऐसा वृक्ष जिसकी विशिष्ट विशेषताएं, उस प्रजाति की सामान्य विशेषताओं से भिन्न हो।

उपरोक्त चयन के मानक में से यदि कोई एक मानक भी पूर्ण होता है तो उस वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।

## विरासत वृक्ष के संरक्षण एवं संवर्द्धन किये जाने की प्रक्रिया

- विरासत वृक्ष का संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (NBRI), ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग एवं शोध संस्थानों की परामर्श प्राप्त की जा सकती है।
- वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना में विरासत वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्द्धन का उल्लेख किया जायेगा।
- विरासत वृक्ष को काटा अथवा हटाया नहीं जायेगा, जब तक यह प्राकृतिक रूप से सूख न जाय/गिर न जाय अथवा वनों के शस्यों में संक्रमण की सम्भावना से रोग ग्रस्त हो। सम्बन्धित वन प्रभाग की प्रबन्ध योजना में विशेष रूप से इसका उल्लेख किया जाय।

## विरासत (हेरीटेज) वृक्षों के अभिलेखीकरण की प्रक्रिया

- विरासत (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में चयन का आधार।

- विरासत (हेरीटेज) वृक्षों का स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, छाती की ऊँचाई (1.37 मीटर) पर गोलाई (Girth at Breast Height-G.B.H.) व वृक्ष की अनुमानित आयु।
- विरासत (हेरीटेज) वृक्षों की जियोटैगिंग अक्षांश व देशान्तर (Latitude व Longitude)।
- विभिन्न कोणों से वृक्षों के कम से कम 04 फोटोग्राफ्स।

******